आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर

सेवा अपील वाद सं0–102 / 2020

श्री कृष्णनंदन दास

बनाम

राज्य सरकार एवं अन्य

आदेश

अनुसूची 14–फारम सं0–563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	*आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर*	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
1	2	3
27.02.2023	प्रस्तुत वाद समाहर्त्ता, वैशाली के आदेश ज्ञापांक 546 / स्था0 दिनांक–06.10.2020 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर दायर किया गया है, जिस आदेश से समाहर्त्ता, वैशाली ने अपीलकर्ता को बर्खास्तगी का दंड अधिरोपित किया है। वाद का संक्षिप्त विषय यह है कि अपीलकर्ता जब गोरौल अंचल में राजस्व कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे उस समय दिनांक 17.05.2013 को अपीलकर्ता को विजिलेंस टीम द्वारा रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था। उक्त आरोप के लिए उनके (अपीलकर्ता) उपर प्रपत्र 'क' गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही चलायी गयी। विभागीय कार्यवाही में आरोप प्रमाणित पाया गया। प्रमाणित आरोप के लिए उनसे द्वितीय कारण पृच्छा करते हुए समाहर्त्ता, वैशाली ने अपने आदेश दिनांक 14.05.2014 से बर्खास्तगी का दंड दिया था। समाहर्त्ता, वैशाली के उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलकर्ता ने इस न्यायालय में वाद संख्या–197 / 2014 दायर किया था, जिसमें दिनांक 18.11.2014 को इस न्यायालय (तत्कालीन आयुक्त) द्वारा अपीलकर्ता द्वारा अपने अपीलवाद मे उठाये गये सभी तथ्यों का बिन्दुवार खंडन करते हुए उनके अपील आवेदन को खारिज कर दिया गया था। साथ ही इस	

WEB COPY NOT OFFICIAL

न्यायालय (तत्कालीन आयुक्त) ने अपने आदेश दिनांक–18.11.2014 में अंकित किया है किः–*''इनके विरुद्ध वाद संख्या–14/2011–12 एवं 15/2011–12 अपने कार्यों का ससमय निष्पादन नहीं करने के कारण इनके विरुद्ध तीनो वादों में 5000–5000 रु0 आर्थिक दंड लगाया गया था जो इन्होने दिनांक–21.01.2014 को जमा किया है जिसके पूर्व इसके लिए इनके विरुद्ध आरोप गठित हो चुका था इस तरह इनके विरुद्ध यह आरोप प्रमाणित है।''* साथ ही इनके (अपीलकर्ता) इस बात का भी खंडन किया गया है कि इनके (अपीलकर्ता) द्वारा कोई लंबित कार्य नहीं था इस संबंध में उल्लेखित किया गया है कि *''अपीलकर्ता के उक्त दावा का कोई साक्ष्य यथा कोई प्राप्ति रसीद या कोई ऐसा प्रमाण जो इनके कथन को समर्पित करे सलग्न नहीं होने से इनके दावे की पुष्टि नहीं होती है।''* इस न्यायालय के आदेश दिनांक 18.11.2014 के विरुद्ध अपीलकर्ता ने माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–750/2015 दायर किया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने अपने आदेश दिनांक 26.03.2018 में अंकित किया है किः–

" In the result, the order of dismissal dates 17.05.2014, issued by the Collector cum District Magistrate, Vaishali/ the Disciplinary authority as well as subsequent order of the Appellate authority dated 14.11.2014 are quashed.

As the consequence of quashing of the order of punishment, the petitioner would be entitled to consequential benefits leaving it open to the Disciplinary authority to proceed in the matter in accordance with theprovisions of Bihar CCA Rules after giving due opportunity to the petitioner."

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में समाहर्त्ता, वैशाली ने अपीलकर्ता के बर्खास्तगी को निरस्त करते हुए अपने आदेश ज्ञापांक 26/स्था0 दिनांक–15.01.2019 से विधिवत विभागीय कार्यवाही

WEB COPY NOT OFFICIAL

संचालित करने हेतु अपर समाहर्त्ता, वैशाली को संचालन पदाधिकारी तथा अंचल अधिकारी, गोरौल को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया। संचालन पदाधिकारी ने सभी विहित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए संचालन प्रतिवेदन समाहर्त्ता, वैशाली को समर्पित किया, जिसमें सभी आरोपों को प्रमाणित पाया गया। समाहर्त्ता, वैशाली ने प्रमाणित आरोप पर अपीलकर्ता से द्वितीय कारण पृच्छा करते हुए अपने आदेश दिनांक 06.10.2020 से बर्खास्तगी का आदेश दिया है, जिसके विरुद्ध यह वाद इस न्यायालय में दायर है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार अपीलकर्ता ने कभी कोई रिश्वत की मांग नहीं की थी बल्कि सूचक सुनील कुमार के द्वारा साजिश के तहत षडयंत्र रचकर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना के द्वारा अपीलकर्ता को गिरफ्तार करवा दिया गया।सूचक सुनील कुमार की मॉ शिवकुमारी देवी के नाम से मोख्तारनामा द्वारा दो दस्तावेज आर0टी0पी0एस0 के अंतर्गत जमा किया गया था, जिसका दाखिल खारिज वाद संख्या–1931/2011–12 में आदेश दिनांक–23.01.2012 एवं वाद संख्या–1948/2011–12 में आदेश दिनांक–03.03.2012 के द्वारा निरस्त कर दिया गया था जिसका जॉच प्रतिवेदन अपीलकर्ता द्वारा समय सीमा के अंदर समर्पित कर दिया गया था। आगे इनका (अपीलकर्ता) का कहना है कि घुस मांगने तथा घुस लेते समय पकड़ने के दिन अपीलकर्ता के समक्ष या अंचल कार्यालय में कोई दाखिल खारिज लंबित नहीं था। आवेदक (सूचक) अंचल अधिकारी के आदेश के विरुद्ध भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, महुआ के न्यायालय में अपीलवाद संख्या–35/2012–13 दायर किया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, महुआ ने अपने आदेश दिनांक–23.01.2013 द्वारा स्थल की जॉच की मॉग अंचल अधिकारी से किया , जिसमें अपीलकर्ता की कोई भूमिका नहीं है। इस प्रकार जब कोई कार्य अपीलकर्ता के पास लंबित ही नहीं था तो सूचक द्वारा अपीलकर्ता पर घूस

WEB COPY NOT OFFICIAL

मांगने का आरोप बेबूनियाद है। आगे अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का दावा है कि विभागीय कार्यवाही के दौरान सूचक सुनील कुमार एवं श्री अंजनी कुमार पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी अन्वेषन ब्यूरो इत्यादि लोगों का बयान लिया गया परन्तु अपीलकर्ता के समक्ष किसी का बयान नहीं लिया गया और न हीं किसी गवाह का प्रतिपरीक्षण का अवसर प्रदान किया गया। संचालन पदाधिकारी ने सी0सी0ए0 रुल्स का पालन किये बगैर जॉच प्रतिवेदन समर्पित कर दिया है। समाहर्त्ता, वैशाली ने अपीलकर्ता के बातों का संज्ञान लिये बगैर अपना आदेश पारित किया है, जो गलत है।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता के अनुसार समाहर्त्ता, वैशाली ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में अपीलकर्ता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का संचालन करते हुए अपना आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है।

अपीलकर्ता को उनके विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में समाहर्त्ता, वैशाली ने अपीलकर्ता के बर्खास्तगी को निरस्त करते हुए उनके विरुद्ध विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी ने बिहार सी0सी0ए0 रुल्स के नियम 17 का अनुपालन करते हुए अपीलकर्ता पर लगे सभी आरोपों को प्रमाणित पाया है, जिस आधार पर अनुशासनिक प्राधिकार (समाहर्त्ता) ने अपीलकर्ता से कारण पृच्छा करते हुए अपना आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है एवं उसमें कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं है।

अब जहां तक बात वाद के गुण दोष पर विचार का है, तो इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अपीलकर्ता द्वारा इस बात का कोई उल्लेख अपने

WEB COPY NOT OFFICIAL

	स्पष्टीकरण में नहीं किया गया है कि उनके पास 12000 रु0 बरामद किये गये वे पैसे उनके पास कहां से आये। इनके (अपीलकर्ता) एवं पैसे देने वाले व्यक्ति के बीच कोई ऐसा संबध नहीं था जिसमें सरकारी पैसे का कोई लेन–देन संभावित हो। साथ ही अपीलकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष अपना जो दावा किया है उन सभी दावों का बिन्दुवार खंडन पूर्व में ही इस न्यायालय (तत्कालीन आयुक्त) द्वारा अपने आदेश दिनांक 18.11.2014 से किया जा चुका है। प्रस्तुत मामले में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ऐसा कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह साबित हो सके कि समाहर्त्ता, वैशाली का आदेश त्रुटिपूर्ण है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में समाहर्त्ता, वैशाली के आदेश दिनांक 06.10.2020 में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं पाते हुए प्रस्तुत अपीलवाद अस्वीकृत किया जाता है। **लेखापित एवं संशोधित** **आयुक्त** **आयुक्त**	

WEB COPY NOT OFFICIAL